

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलौदाबाजार-भाटापारा छ0ग0

क्रमांक/ 660 /आ.वि./आ.ला.पो.मे.छा./2020-21
प्रति,

बलौदाबाजार, दिनांक :- 15.10.2020

प्राचार्य,


शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/पॉलीटेक्नीक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा,छ.ग.

विषय :-

वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऑनलाइन पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु।

संदर्भ :-

कार्यालय आयुक्त का पत्र क्रं./ऑ.ला.पो.मे.छा./118/2020-21/4558
07/10/2020



—000—

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आदि के संस्था प्रमुख व छात्रवृत्ति प्रभारी को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सरथाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 15.10.2020 से 30.11.2020 तक
2	Draft Proposal lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 10.12.2020 तक
3	Sanction Order lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 20.12.2020 तक
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 10.01.2021 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2020-21 की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे। Draft Proposal अथवा Sanction Order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जावेंगे। व निर्धारित समय के पश्चात कार्यालय में KYC स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार, दिनांक :- 15.10.2020

पृ. क्रमांक/ 661 /आ.वि./ आ.ला.पो.मे.छा./2020-21
प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, अटल नगर नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा को सादर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बलौदाबाजार-भाटापारा

*Dr. Madhukrishna for
necessary action.*

*Date
31/10/2020
5:45*